संचालनालय मत्स्योद्योग
मध्य प्रदेश

E-mail-dirfish@mp.nic.in/Fax-0755-2771991/ph-0755-2771975

क्रमांक 4686 म0 / स्था0 / अराज / 2019 भोपाल, दिनांक 22.7.19

—::: आदेश :::—

म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–5–2/2018/13 दिनांक 5 जून, 2018 के अनुक्रम में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को निम्नानुसार वेतन एवं अन्य सुविधाऐं दिए जाने के निर्देश प्राप्त हुऐ है । अभिकरण के संविदा कर्मचारी जो कि विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत् है, उन्हें भी उक्त आदेश के अनुसार वेतन भत्तें एवं अन्य सुविधाऐं के संबंध में वित्त विभाग निर्देशानुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की गई है । अतः म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 5 जून,2018 के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

22/7/19

(ओ.पी. सक्सेना)
संचालक मत्स्योद्योग
मध्य प्रदेश

पृ0क्रमांक / 4687 / म0 / स्था0 / अराज / 2019 भोपाल, दिनांक 22.7.19

प्रतिलिपि :—

1— निज सचिव, मा. मंत्री जी, म.प्र.शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग ।
2— प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग ।
3— कलेक्टर, समस्त .... ।
4— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त................................ ।
5— संयुक्त संचालक मत्स्योघोग, ग्वालियर/जबलपुर ।
6— संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा समस्त .... ।
7— उप संचालक मत्स्योघोग समस्त .... ।
8— सहायक संचालक मत्स्योघोग समस्त .... ।
9— कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय समस्त .... ।
10-- मत्स्यालय अधिकारी मत्स्यालय भोपाल ।
11-- संचालनालय की समस्त शाखाऐं ।

22/7/19

(ओ.पी. सक्सेना)
संचालक मत्स्योद्योग
मध्य प्रदेश

E:\DAHIYA JI\DAHYA-19\आदेश-19.doc

40-

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल, 05 जून, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने हेतु नीति-निर्देश ।

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति एवं म.प्र. सर्वशिक्षा अभियान मिशन में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते है, संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों से आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी :-

1.1 राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अनुमोदित प्रशासनिक सेटअप में संविदा पर नियुक्ति के लिए जो पद चिन्हित हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से नियमित पदों मे परिवर्तित किया जाए। विषय-विशेषज्ञता, योग्यता एवं अनुभव अथवा ऐसी कोई विशिष्ट परिस्थितियों में संविदा पर नियुक्त करने के पद स्वीकृत किए जाएंगे। विभाग ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए संविदा नियुक्ति के पदों को निर्मित करने अथवा उन्हें निरंतर रखने का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत कर उस पर अभिमत प्राप्त करेगा तदोपरांत विभाग समन्वय में ऐसे प्रस्ताव पर यथोचित आदेश प्राप्त करेगा।

1.2 विभाग जहाँ आवश्यक हो आउट-सोर्स के माध्यम से स्वीकृत सेटअप के अनुसार सेवाएं प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

निरन्तर--2